न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4081–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–11–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 01/अपील/14–15

रामसिंह आत्मज मोजीलाल
निवासी ग्राम लाम्बाखेड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल ....आवेदक

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर जिला भोपाल
2– श्रीमती द्रोपतीबाई पत्नी स्व. श्री रामरतन कुशवाह
निवासी ग्राम देवलखेड़ी
तहसील हुजूर बैरसिया रोड, भोपाल ....अनावेदकगण

श्री श्रीकांत मालवीय, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक,अनावेदिका क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/11/2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश 12–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अपर तहसीलदार, तहसील हुजूर के आदेश दिनांक 19–9–14 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, तहसील

हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 01/अपील/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदिका कमांक 2 द्रोपतीबाई द्वारा पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–11–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदिका कमांक 2 को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये एवं प्रकरण संहिता की धारा 52 पर तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका कमांक 2 द्रोपतीबाई तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थी, और न ही हितबद्ध पक्षकार है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका कमांक 2 को पक्षकार बनाये जाने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय में अनावेदिका कमांक 2 न तो उपस्थित हुई है, और न ही उसकी साक्ष्य ली गई है, और न ही उसके द्वारा पक्ष समर्थन किया गया है, ऐसी स्थिति में भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसे पक्षकार बनाये जाने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का प्रकरण मंगाकर देखना भी उचित नहीं समझा कि वास्तव में अनावेदिका कमांक 2 हितबद्ध पक्षकार है अथवा नहीं । इस आधार पर कहा गया कि बिना तहसील न्यायालय का प्रकरण देखे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित नहीं है कि अनावेदिका कमांक 2 के आवेदन पत्र पर ही तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत अनावेदिका कमांक 2 की ओर से कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकी है कि वह हितबद्ध पक्षकार है अथवा नहीं, इस कारण भी वह पक्षकार नहीं बन सकती है ।

तर्कों के समर्थन में 1984 आर.एन. 293, 1999 आर.एन. 165, 1979 आर.एन. 58, 1996 आर.एन. 307, 2003 आर.एन. 183 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदिका कमांक 2 के पति स्व. श्री रामरतन को ग्राम लाम्बाखेड़ा स्थित भूखण्ड 30X70 वर्गफीट आवंटित था, और उनकी मृत्यु उपरांत उक्त भूखण्ड अनावेदिका कमांक 2 के आधिपत्य में आ गया तथा उसके द्वारा कबेलूछाप मकान बनाकर परिवार के साथ निवास करती चली आ रही है । आवेदक द्वारा अनावेदिका कमांक 2 को बेदखल कर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत अनावेदिका कमांक 2 द्वारा कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में की गई थी, इस कारण वह हितबद्ध पक्षकार है ।

(2) अनावेदिका कमांक 2 एक अनपढ़ एवं देहाती महिला है, जिस कारण पट्टे के आधार पर वह अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाई, जिसका अनुचित लाभ लेकर कूटरचना कर आवेदक भूखण्ड पर अवैध कब्जा करना चाहता है ।

(3) अनावेदिका कमांक 2 के पक्ष में व्यवहार न्यायालय से डिकी दिनांक 18–11–99 को हुई है, ऐसी स्थिति में अनावेदिका कमांक 2 को बिना सूचना दिये किसी प्रकरण में पारित आदेश उक्त डिकी के मुकाबले में शून्य होकर आवेदक पर बंधनकारी है ।

(4) तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण कमांक 6/अ–68/13–14 में अनावेदिका कमांक 2 अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुई थी, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा बिना उसे सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, इस कारण वह हितबद्ध पक्षकार है ।

(5) आवेदक के पूर्व एक व्यक्ति चंदनसिंह द्वारा अनावेदिका कमांक 2 के पति के जीवनकाल में उक्त भूखण्ड पर अपना दावा किया था, और व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद प्रकरण कमांक 71 ए/98 में दिनांक 18–11–99 को आदेश पारित कर अनावेदिका कमांक 2 के पति स्व. श्री रामरतन के पक्ष में डिकी पारित कर भूमिस्वामी घोषित किया गया है, इस कारण भी अनावेदिका कमांक 2 अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है ।

(6) व्यवहार न्यायालय की डिक्री दिनांक 18–11–99 को चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गई है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि शासन की मानना अथवा उसका आधिपत्य मानना डिक्री की अवमानना होगी ।

(7) विचारण न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज एवं व्यवहार न्यायालय की डिक्री दिनांक 18–11–99 से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूखण्ड अनावेदिका क्रमांक 2 का लीजहोल्ड हक का है, और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका क्रमांक 2 को पक्षकार बनाये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है ।

प्रत्युत्तर में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर 100 व्यक्तियों को पट्टे दिये गये हैं, जिन पर मकान बने हैं, और अनावेदिका क्रमांक 2 द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में 2100 वर्गफीट भूखण्ड का विवाद था, जबकि कलेक्टर को 900 वर्गफीट से अधिक का पट्टा देने का अधिकार नहीं है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 1 सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहे ।

6/ आवेदक एवं अनावेदिका क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 19–9–2014 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान अनावेदिका क्रमांक 2 द्रोपतीबाई द्वारा अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाये जाने के संबंध में आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूखण्ड उसके पति को आवंटित किया गया था, जिस पर चंदनसिंह आदि के द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का प्रयास किया गया था, तब उसके पति द्वारा व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद क्रमांक 71 ए/98 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें पारित आदेश दिनांक 18–11–99 से उसके पति को भूमिस्वामी घोषित किया गया है, इसलिए वह प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है, अतः उसे अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 12–11–2014 को आदेश पारित कर

अनावेदिका कमांक 2 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकार बनाया गया है, जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अनावेदिका कमांक 2 की हैसियत शिकायतकर्ता की है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि कि अनावेदिका कमांक 2 प्रश्नाधीन भूमि पर अपना स्वत्व बता रही है, इसलिए उसकी हैसियत शिकायतकर्ता की नहीं होकर वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । यहां यह विचारणीय प्रश्न है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका कमांक 2 को पक्षकार बनाये जाने से आवेदक के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश 12–11–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर